कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: कार्यालय आदेश ::

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक शिविरा/माध्य/संस्था/बी–2/45005/स्थानान्तरण–पदस्थापन/2022 दिनांक 07.08.2022 द्वारा श्रीमती गायत्री, प्रधानाचार्य, राउमावि मुढेरा, जिला भरतपुर का स्थानान्तरण राउमावि बसोर, जिला पाली किया गया था। उक्त आदेश के विरूद्ध श्रीमती गायत्री द्वारा माननीय राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर में अपील संख्या 3205/2022 गायत्री बनाम राजस्थान राज्य व अन्य दायर की गई।

अपील में माननीय अधिकरण द्वारा पारित निर्णय दिनांक 02.09.2022 द्वारा अपीलार्थी को प्रत्यर्थी विभाग के सक्षम अधिकारी के समक्ष समस्त तथ्यों एवं आधारों का उल्लेख करते हुए एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करने एवं प्रत्यर्थी विभाग द्वारा अपीलार्थी का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे विभागीय दिशा–निर्देशों के अनुसार एक सकारण आख्यात्मक आदेश (REASONED SPEAKING ORDER) प्रसारित करते हुए निस्तारित किये जाने सम्बन्धी निर्देश प्रदान किये गए।

माननीय अधिकरण के निर्णय के अनुसरण में अपीलार्थी द्वारा अभ्यावेदन प्रस्तुत कर राज्य सरकार की नीति अनुसार पति–पत्नी को यथासंभव निकट स्थान/एक ही जिले में पदस्थापित रखे जाने एवं अपनी सास की बीमारी को मद्देनजर रखते हुए अपना पदस्थापन पुनः राउमावि मुढेरा, उच्चैन जिला भरतपुर में प्रधानाचार्य के रिक्त पद पर किए जाने की मांग की गई।

अपीलार्थी के अभ्यावेदन का राज्य सरकार एवं विभाग के दिशा–निर्देशों/नियमों/परिपत्रों के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण किया गया एवं उनसे सम्बन्धित अभिलेखों का अवलोकन किया गया। वर्तमान में राज्य सरकार की ऐसी कोई नीति प्रभावी नहीं हैं जिसमें पति–पत्नी को निकट स्थान/एक ही जिले में पदस्थापित रखा जावे। राज्य सरकार के दिशा–निर्देश दिनांक 14.07.2022 के अनुसार माता–पिता/पति–पत्नी/पुत्र–पुत्री व अन्य परिजनों की रूग्णता के आधार पर अनुतोष का लाभ देय नहीं है। अपीलार्थी राज्य सेवा की अधिकारी है और सरकार अथवा विभागाध्यक्ष द्वारा उन्हें विभागीय प्राथमिकता/प्रशासनिक आवश्यकता/राज्य अथवा विद्यार्थी हित में राज्य में कहीं पर भी पदस्थापित किया जा सकता हैं। अन्यत्र पदस्थापित किए जाने से किसी भी लोकसेवक के विधिक अधिकारों एवं सेवा नियमों का किसी भी प्रकार से कोई उल्लंघन नहीं होता है। उक्तानुसार अपीलार्थी श्रीमती गायत्री, प्रधानाचार्य का अभ्यावेदन एतद द्वारा खारिज किया जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल अपने स्थानान्तरित स्थान राउमावि बसोर जिला पाली में कार्यग्रहण कर पालना से अवगत करावें।

(गौरव अग्रवाल)
आई.ए.एस
निदेशक माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

Rajasthan Education Department
सत्यमेव जयते

क्रमांकः शिविरा–मा./संस्था/बी–2/अपील/गायत्री/3205/2022/02 **दिनांकः** 17.10.2022

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतुः–

1. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा मंत्री महोदय, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय शिक्षा राज्य मंत्री महोदया, प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान सरकार, जयपुर।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, स्कूल शिक्षा एवं भाषा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर।
4. संयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा,, भरतपुर/पाली।
5. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, भरतपुर/पाली।
6. जिला शिक्षा अधिकारी, (मुख्यालय) माध्यमिक भरतपुर/पाली।
7. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, रूपवास, भरतपुर को पाबन्द किया जाता है कि वे उक्त आदेश की पालना में श्रीमती गायत्री, प्रधानाचार्य को तत्काल कार्यमुक्त किया जाना सुनिश्चित करावें।
8. जिला शिक्षा अधिकारी (विधि) माध्यमिक, जयपुर।
9. सहायक निदेशक, विधि अनुभाग कार्यालय हाजा।
10. सिस्टम एनालिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग को विभागीय वैबसाइट पर अपलोड हेतु।
11. श्रीमती गायत्री, प्रधानाचार्य को आदेश की पालनार्थ।
12. निजी/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक (कार्मिक)